झारखण्ड सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

अ धि सू च ना

जी0एस0आर0____________/भारतीय संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना संख्या–07 दिनांक 16 नवम्बर, 2000 द्वारा बनाई गई झारखण्ड कार्यपालिका नियमावली, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:–

संशोधन

नियमावली के तृतीय अनुसूची के मद सं0 35 (मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना संख्या–4151, दिनांक 18 दिसम्बर, 2001 द्वारा यथा संशोधित) में अंकित प्रावधानों को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर निम्नलिखित प्रावधान प्रतिस्थापित किया जाता है:–

1. <u>योजनाओं की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार</u>

(क) 20.00 (बीस) करोड़ रूपये तक की लागत की नई योजनाओं/स्कीमों की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु विभागीय मंत्री सक्षम होंगे, परंतु 10.00(दस) करोड़ से अधिक और रु0 20.00(बीस) करोड़ तक की लागत वाली योजनाओं पर योजना एवं विकास विभाग के माध्यम से योजना मंत्री का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा। A

(ख) <u>राज्य योजना प्राधिकृत समिति</u>

20.00 (बीस) करोड़ रूपये से अधिक लागत वाली योजना मद की नयी स्कीमों की स्वीकृति के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में निम्नरूपेण गठित राज्य योजना प्राधिकृत समिति द्वारा अनुशंसा की जायेगी :–

(i) विकास आयुक्त	–	अध्यक्ष
(ii) प्रधान सचिव/सचिव, वित्त/अपर वित्त आयुक्त	–	सदस्य
(iii) प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग	–	सदस्य सचिव
(iv) संबंधित विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव	–	सदस्य
(v) संबंधित विभागाध्यक्ष	–	सदस्य

राज्य योजना प्राधिकृत समिति की बैठक की कार्यवाही योजना मंत्री के अनुमोदन के पश्चात निर्गत की जायगी । राज्य योजना प्राधिकृत समिति की अनुशंसा के पश्चात् वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त कर योजना पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जायेगी ।

(ग) इस प्रकार योजना मद में नई स्कीमों की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नरूपेण प्रदान की जायेगीः—

क्र0सं0	स्कीम की लागत	स्वीकृति प्राधिकार
1.	रू0 10.00(दस) करोड़ तक	विभागीय मंत्री
2.	रू0 10.00(दस) करोड़ से अधिक एवं 20(बीस) करोड़ तक	योजना एवं विकास विभाग के माध्यम से योजना मंत्री के पूर्वानुमोदन के पश्चात् विभागीय मंत्री
3	20(बीस) करोड़ से अधिक	मंत्रिपरिषद

नोटः— कार्यपालिका नियमावली के नियम 38 (3) के अन्तर्गत वित विभाग आवश्यक दिशा—निदेश निर्गत कर सकेगा।

(घ) सभी स्तर पर नई योजनाओं की स्वीकृति करते समय विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव की निम्नलिखित जिम्मेवारी होगी –

(i) चालू योजनाओं को पूर्ण करने हेतु पर्याप्त निधि कर्णांकित कर ली गयी है।

(ii) स्थल का चयन करते समय क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान मे रखा गया है ।

(iii) अगर योजना निर्माण से संबंधित है तो प्राक्कलन पर सक्षम प्राधिकार से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त कर ली गयी है ।

(iv) यदि योजना में किसी नये पद के सृजन या पद के उत्क्रमण अथवा नये वाहन के क्रय का प्रस्ताव शामिल हो तो उक्त अंश का विचारण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित प्रशासी पदवर्ग समिति के द्वारा किया जायेगा । तत्पश्चात् इन निर्णयों को समाहित कर गठित प्रस्ताव की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार के द्वारा की जायेगी ।

(v) उपर्युक्त कंडिका— (i) से (iv) में विचलन की स्थिति में विभागीय सचिव कार्यपालिका नियमावली के नियम 56 के अनुसार कार्रवाई करेंगें।

Aditya

2. पुनरीक्षित प्राक्कलनों की स्वीकृति :—

(क) स्कीम की मूल लागत चाहे जो भी हो, मात्र वैधानिक लेवी/करों, विनिमय दरों तथा अनुसूचित दरों में वृद्धि (निविदा के पूर्व) के कारण स्कीम की लागत में वृद्धि की स्वीकृति प्रशासी विभाग द्वारा विभागीय मंत्री के अनुमोदन से की जा सकेगी ।

(ख) स्कीम की मूल लागत चाहे जो भी हो, जहाँ अपील इत्यादि के बाद न्यायालय के आदेश के फलस्वरूप भू—अर्जन को लेकर स्कीम की लागत में वृद्धि हो रही है, उसकी स्वीकृति प्रशासी विभाग द्वारा विभागीय मंत्री के अनुमोदन से की जा सकेगी ।

(ग) उपरोक्त कंडिका (क) तथा (ख) के मामलों को छोड़कर, अगर प्रथम पुनरीक्षण के कारण लागत वृद्धि 20% से ज्यादा एवं सन्निहित राशि 1.00 करोड़ रूपये से अधिक हो, तो राज्य योजना प्राधिकृत समिति के विचारोपरांत मूल योजना की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार (यथा कंडिका 3(ग)) द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी । यदि पुनरीक्षण के कारण लागत वृद्धि 20% से अधिक है किन्तु सन्निहित राशि 1.00 करोड़ रूपये से कम हों तो विभाग के स्तर पर ही पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी ।

(घ) द्वितीय अथवा उसके पश्चात् पुनरीक्षित प्राक्कलनों की स्वीकृति राज्य योजना प्राधिकृत समिति की अनुशंसा के पश्चात् मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदान की जायेगी ।

3. योजना मद में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना, केन्द्र चालित योजना एवं वाह्य संपोषित योजना प्रक्षेत्र में चालू तथा नई स्कीमें :—

(क) <u>केन्द्र द्वारा प्रायोजित अथवा केन्द्र चालित नयी स्कीम :—</u> नयी स्कीमों, उनकी लागत चाहे कितनी भी हो, के कार्यान्वयन के लिए राज्य योजना प्राधिकृत समिति की अनुशंसा प्राप्त कर मंत्रिपरिषद के अनुमोदन से स्वीकृति आदेश निर्गत किया जा सकेगा।

(ख) <u>केन्द्र द्वारा प्रायोजित अथवा केन्द्र चालित चालू स्कीम :—</u> यदि ऐसी स्कीम के राज्यांश के लिए योजना उदव्यय एवं बजट में उपबंध उपलब्ध हो, तो प्रत्येक वर्ष अलग से प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी । प्रशासी विभाग केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दिशा—निर्देशों के अनुसार इन स्कीमों का क्रियान्वयन करेगा। प्रशासी विभाग योजना उदव्यय एवं बजट उपबंध के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि के समानुपातिक राज्यांश की राशि संबंधी विभाग अपने स्तर से स्वीकृत्यादेश निर्गत करने के उपरांत विमुक्त करने के लिए सक्षम होगा।

(ग) जिन योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में भारत सरकार द्वारा मुख्य सचिव/सक्षम प्राधिकार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति अथवा समरूप समिति गठित की गयी है; जैसे वित्त आयोग, बी0आर0जी0एफ0, आर0के0भी0वाई0 इत्यादि; उन मामलों में योजना प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर उसे उपरोक्त उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति के समक्ष रखा जायेगा। इस समिति की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जा सकेगा। ऐसे मामलों में कंडिका 3 में वर्णित प्रावधान अथवा अन्य प्रावधान लागू नहीं होंगे ।

4. राज्य योजना की चालू स्कीमें:–

राज्य योजना की चालू स्कीमों के लिए प्रत्येक वर्ष स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी । इसके लिए योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की लागत के अंतर्गत संबंधित वर्ष के लिए योजना उद्व्यय तथा बजट उपबंध के अंतर्गत राशि विमुक्त करने के लिए प्रशासी विभाग सक्षम होगा । योजनाओं का क्रियान्वयन एवं राशि की विमुक्ति प्रशासी विभाग द्वारा योजना के संबंध में सरकार की मूल स्वीकृति एवं अनुमोदित दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जा सकेगा।

5. इस विषयक मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग तथा योजना एवं विकास विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत संकल्प संख्या 31/स0को0 दिनांक 18.01.2001, अधिसूचना संख्या 4151 दिनांक 18.12.2001, संकल्प संख्या 4152 दिनांक 18.12.2001, संकल्प संख्या 252 दिनांक 19.02.2002, पत्रांक 1132 दिनांक 31.07.2002, पत्रांक 1421 दिनांक 14.05.2004, पत्रांक 1019 दिनांक 18.09.2004 तत्काल प्रभाव से निरस्त समझे जायेंगे तथापि पूर्व के निर्गत इन परिपत्रों के आलोक में स्वीकृत योजनाओं की मान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इसे तुरंत प्रवृत्त समझा जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

Aditya 13/2/2012

(आदित्य स्वरूप)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–सी0एस02/आर0–01/2005 188 / रांची, दिनांक 13 फरवरी, 2012 ई0।

प्रतिलिपि:– राज्यपाल के प्रधान सचिव, राजभवन, झारखण्ड, रांची/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सरकार के सभी प्रधान सचिव/सरकार के सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Aditya 13/2/2012

(आदित्य स्वरूप)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–सी0एस02/आर0–01/2005 188 / रांची, दिनांक 13 फरवरी, 2012 ई0।

प्रतिलिपि:– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि उपर्युक्त अधिसूचना की 2000(दो हजार) मुद्रित प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

Aditya 13/2/2012

(आदित्य स्वरूप)
सरकार के प्रधान सचिव।